खंड ४

बिहार विधान-सभा वादवृत

सोमवार, तिथि १ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १ जून १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री राम नारायण मण्डल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है । ३० तारीख को जब आप नहीं थे और सभापति जब पीठासीन थे तो मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उपस्थित किया था । सभापति का आदेश हुआ कि अध्यक्ष के रहने पर ही आप अपना प्रश्न रखेंगे । मैंने श्री चन्द्रशेखर सिंह और मुख्य मंत्री के खिलाफ ३० तारीख को नियम ४८ के अनुसार विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न उठाया था और आज भी लिखकर दिया है, नियमावली के नियम २४२ के तहत ।

अध्यक्ष—आप ने लिखकर दिया है ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—जी हाँ, दिया है । ३० तारीख को सदन में उठाया था और इस पर पीठासीन सभापति का निर्णय हुआ कि अध्यक्ष ही इस पर निर्णय देंगे और यह आपके निर्णय तक के लिए स्थगित रखा गया । तो मैं चाहता हूँ कि आज इस पर आप का निर्णय हो जाय ।

अध्यक्ष— मैं इसे देख लूंगा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—उसे सभापति महोदय के सामने उपस्थित किया गया था । उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय तक स्थगित रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह विचार करने के लायक है ।

अध्यक्ष—आपने लिखकर दिया है तो मैं उसे देख लूंगा ।

श्री रामएकबाल सिंह— अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरा ही था मैंने भी लिखकर दिया है ।

लेकिन अभी, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण मेडिकल में बातें कही हैं ऐसा ध्यानाकर्षण में नही होना चाहिए। इस तरह की बातें तो बजट भाषण में कही जा सकती है। इससे वह परपस सर्व नहीं होता है जिसके लिए ध्यानाकर्षण को रखा गया था अब आप इसपर जैसा विचार करें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह —सरकार इसका उतर तिथि ९ जून, १९७० को देगी।

(ख) बिहार विश्व-विद्यालय के प्रशासन में ढिलाई एवं अनियमितता।

•श्री रामदेव शर्मा —एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर मैं मुख्य मंत्री का जो शिक्षा विभाग के भी प्रभारी मंत्री है ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उत्तर विहार में उच्चतर शिक्षा के लिए केवल एक ही विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय है जिसकी प्रशासनिक तथा शैक्षणिक स्तर में इतनी अधिक ह्रास हुई है कि उत्तर बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य पूर्णत: अंधकारमय हो गया है।

स्थानीय अंग्रेजी दैनिक इन्डियन नेशन में विगत १९ तथा २१ मई को मुख्य पृष्ठ पर ' नथिंग इजीयर दैन बी० यू० इक्जाम" तथा "बी० यू० स्टक डीप इनटू ऐडमिनिस्ट्रेटिन मोरैस" शीर्षकों से तहलका मचा देने वाले समाचार छपे हैं। छपे समाचार में उदाहरण का हवाला देते हुए बतलाया गया है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्णत: टूट चुका है। सभी विकास-कार्य बन्द हैं। न उपकुलपति स्वयं निर्णय लेते हैं और न विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी परिषद् (अभिषद) को ही निर्णय लेने का अवसर देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विकास एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्राप्त अनुदान यों ही व्यर्थ पड़ा हुआ है, जिसको आयोग को लौटा देना होगा। उपकुलपति स्वयं तीन वर्षों से विश्वविद्यालय कार्यालय नहीं जा रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्णत: ढीला होता गया है। उपकुलपति अभिषद्, विद्वत-परिषद् तथा परीक्षा-परिषद् को अधिकार का प्रयोग स्वयं बड़े पैमाने पर कर विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों का घोर उल्लंघन करते रहे हैं। विश्वविद्यालय में नियम तथा कानून पूर्णत: उठ गया है और उपकुलपति की निष्क्रियता के कारण प्रशासन मखौल बनती जा रही है।

ऐसी भयानक तथा विस्फोटक परिस्थिति बन गई है कि सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अत्यन्त ही आवश्यक है। विश्वविद्यालय अधिनियम '१९६०' धारा ५१ के अन्तर्गत राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जाँच कराने का पूर्ण

अधिकार है। अतः मैं मुख्य मंत्री से यह निवेदन करता हूँ कि समाचार-पत्र में छपे सभी विन्दुओं पर स्पष्टीकरण दें तथा विश्वविद्यालय की वर्त्तमान अवस्था की जाँच के लिए शीघ्र जाँच-आयोग का गठन करें। यह बात भी कही जा रही है कि उप कुलपति बड़े पैमाने पर पक्षपात तथा धन-अर्जन कर रहे हैं इसलिए जाँच आयोग का शीघ्र गठन आवश्यक है।

श्री दारोगा प्रसाद राय —सरकार इसका उत्तर तिथि ९ जून, १९७० को देगी।

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे थे)

अध्यक्ष —माननीय सदस्य बैठ जायँ। माननीय सदस्य विना अध्यक्ष के बुलाए कुछ नहीं बोलें।

(इसी बीच बिना अध्यक्ष की अनुमति के माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान कुछ पढ़ने लगे)

अध्यक्ष —माननीय सदस्य जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको कार्यवाही में नोट नहीं किया जाय। ध्यानाकर्षण-सूचना के सम्बन्ध में घोषणा।

श्री कमलदेव नारायण सिंह —अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में मैं अनुरोध करना चाहताहूँ कि एक ऐसा विषय होता है जिसपर कई सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं आती हैं। मैं समझता हूँ कि नियम में संशोधन करने के लिए आप पुनर्विचार करें कि एक ही विषय पर एक से अधिक ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ रखी जा सकती हैं या नहीं। मैंने देखा है कि एक ही विषय पर दो ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ रखने की इजाजत आपने दी, बिहारशरीफ मिल मजदूर के बारे में। हो सकता है कि आप कानून और विवेक की दृष्टि से ऐसा करते हैं, लेकिन इस पक्ष के सदस्यों की यह धारणा बन गयी है कि उनकी ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आप ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इसपर विचार करने के लिए आप नियम समिति की बैठक बुलाएँ।

अध्यक्ष —माननीय सदस्य श्री कमलदेव नारायण सिंह ने जो सुझाव दिया है उसको मैं मानता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि नियम समिति की बैठक मैं कल ही बुलाऊँगा इस विषय पर विचार करने के लिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव — मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह दूसरे विषय पर है कि सभा नियमावली के नियम १०४ के मुताविक आपको पूरा अधिकार है ध्यानाकर्षण-सूचना लेने का। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था की माँग करता हूँ कि अभी

श्री राम विलास पासवान और श्री रामचन्द्र जी ने जो ध्यानाकर्षण-सूचना रखनी चाहिए वह लोगों की जिन्दगी से सम्बन्ध रखती है ···

अध्यक्ष —मेरे निर्णय के बाद अब इसपर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य, श्री विश्वनाथ मोदी की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार का जवाब हो।

श्री राम राज प्रसाद सिंह —अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। अब देखें जायें बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २१९ से २२४ तक जिनके अनुसार कार्य मंत्रणा समिति के गठन एवं समिति के कृत्य आदि के बारे में मेरा कहना है कि इस बार सेसन में कटौती के लिए जो समय का एलौटमेंट किया गया है कार्य मंत्रणा समिति से राय नहीं ली गई है और १९५२ के बाद यह यह पहला अवसर १९७० में है कि ऐसा किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप ने नियम २१९ से लेकर २२४ तक को ससपेन्ड कर दिया है ?

श्री हरीहर प्रसाद सिंह —इस सेसन में तो इस समिति की बैठक हुई ही नहीं है।

अध्यक्ष —इसपर मैं नियम देखकर निर्णय दूँगा।

ध्यानाकर्षण-सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :

[क] हजारीबाग जिला में शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी :

***श्री दारोगा प्रसाद राय** —जिला शिक्षा-निधि द्वारा सम्पोषित और संचालित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में सरकार की नीति यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों पर क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त योग्यता के उम्मीदवारों को नियुक्ति की जाय। शेष पदों पर नियुक्ति के विषय में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है

भारतवर्ष के संविधान में हर नागिरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतवर्ष के भीतर किसी जगह जहाँ चाहे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकता है, नौकरी कर सकता है व्यापार कर सकता है, कल-कारखाने खोल सकता है। इसके लिए जन्म-स्थान बाधक नहीं होता है। महिलाओं, अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के विषय में योग्यता में सरकार ने छूट दे रखी है। जहाँ उनके लिए अप्रशिक्षित मिडल योग्यता है वहाँ शेष वर्गीय के लिए निम्नतम योग्यता प्रशिक्षित मिडिल या अप्रशिक्षित मैट्रिक है। उपर्युक्त प्रतिबंधों के साथ जिस प्रकार राज्य के दूसरे जिलों में